"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2007 —माघ 6, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2007

क्रमांक 32/929/2006/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 8-1-2007 से 12-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 7, 13 एवं 14-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्री एस. आर. सेजकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री विजय कुमार सिंह का कार्य संपादित करेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक ई-7/6/2004/1/2.—श्री आर. पी. बगाई, भा. प्र. से., मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिनांक 11-01-2007 से 12-01-2007 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जनवरी, 2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बगाई आगामी आदेश तक मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बगाई को अवकाश, वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बगाई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 4-10/2003/1/एक.—राज्य शासन, माननीय न्यायमूर्ति श्री एल. सी. भादू, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 से 08 नवम्बर, 2006 तक (कुल 10 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की एतद्द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1398/1011/2006/1-8/स्था.—श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 22-12-2006 से 12-1-2007 तक 22 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1400/1087/2006/1-8/स्था.—श्री अजय कुमार पाण्डे, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 5-12-2006 से 8-12-2006 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 9 एवं 10-12-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार पाण्डे को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1402/1068/2006/1-8/स्था.—श्री विलियम कुजूर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 26-12-2006 से 6-1-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24, 25-12-2006 एवं दिनांक 7-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2006

क्रमांक 1404/1111/2006/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम (भावसे), सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 1-1-2007 से 12-1-2007 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 13 एवं 14-1-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 67/1113/2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, सचिव के स्टाफ आफिसर, सहकारिता विभाग को दिनांक 2-1-2007 से 19-1-2007 तक 18 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजयवर्गीय को सचिव के स्टाफ आफिसर, सहकारिता विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजयवर्गीय, अवकाश पर नहीं जाते तो, सचिव के स्टाफ आफिसर, सहकारिता विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 69/08/2006/1-8/स्था.—श्री बी. एल. पवार, मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 2-1-2007 से 6-1-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पवार को मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री पवार, अवकाश पर नहीं जाते तो मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 417/50/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भूपेन्द्र सठौड़, अधिवक्ता, जिला-महासमुंद को दिनांक 26-10-2005 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए महामसुंद जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

क्रमांक 422/50/21-ब/छ. ग./2007.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अजय कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता, जिला-महासमुंद को दिनांक 16-7-2005 से पुन: तीन वर्ष की कालावधि के लिए महामसुंद जिले के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी

आदेश तक उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक (1)	लो. से. आ. का पंजी (2)	नाम (3)	पदस्थापना स्थान (4)
1.	429	डॉ. संतोष सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर जिला सरगुजा
2.	883	डॉ. अनिल कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरेगांव जिला कवर्धा

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तो के अधीन होगी :-

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तो के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधान कारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यार्थी को एक अंडर टेकिंग कार्य ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) चयनित/अभ्यार्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्तियों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-6/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदनी रोड, भिलाई एवं कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/सी. जी. आई. आर./06

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-6/16/06.—चूंकि कारखाना प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व जनरल सेक्रेटरी सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन नंदनी रोड भिलाई जिला-दुर्ग द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा और जनरल सेक्रेटरी, सीमेंट वर्क्स यूनियन मजदूर सभा भवन, नंदनी रोड भिलाई जिला दुर्ग के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णायार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा में कार्यरत ठेका श्रमिकों को वर्ष 2004-05 के लिये 20% की दर से बोनस एवं 2700/- एक्सग्रेसिया राशि नियमित कर्मचारियों के समान दिया जाना उचित होगा ? यदि हां तो नियोजक को इस संबंध में क्या निर्देश दिये जाने चाहिये ?

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-7/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन कर्मचारी महासंघ बस स्टैण्ड पंडरी, रायपुर एवं छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के मध्य निम्न औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 8/सी. जी. आई. आर./2004

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-7/16/06.—छत्तीसगढ़ अधोसंरचना, विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन कर्मचारी महासंघ, बस स्टैण्ड पंडरी रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक छत्तीसगढ़ अधोसंरचना, विकास निगम द्वारा :- मैनेजिंग डायरेक्टर रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या सेवा नियुक्तों को समझौता दिनांक 03-02-1988 के अनुसार भुगतान प्राप्त करने की पात्रता आवेगी ? यदि नहीं तो वे जिस सहायता के पात्र है तथा इस संबंध में सेवायोजकों को क्या निर्देश दिया जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-8/16/06.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि रायपुर के स्थानीय समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा एवं कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित औद्योगिक विवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 1/सी. जी. आई. आर./05

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2007

क्रमांक एफ 11-8/16/06.—चूंकि लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर, जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व महासचिव, लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं सेवा नियोजक कारखाना प्रबंधक लाफार्ज इंडिया प्रा. लि. आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद को माननीय औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (अ) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप माननीय औद्योगिक न्यायालय, रायपुर को पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

1. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट में कार्यरत समस्त श्रमिकों को सोनाडिह जोजोबेरा सीमेंट प्लांट में कार्यरत श्रमिकों के समान वेतन एवं सभी स्थायी सुविधाएं दिया जाना चाहिए ?

2. क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट के बदली कामगारों को जो 20 वर्षों से कार्यरत हैं, प्लांट में खाली जगह वाले एरिया में स्थायी किया जाना उचित होगा. यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 अक्टूबर 2006

क्रमांक 188/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	नंदेली प. ह. नं. 6	0.266	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्रमांक-5, खरसिया.	सक्ती उपशाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक/66/प्र. 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडी लोहारा	राघोनवागांव प. ह. नं. 7	10.02	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 12 जनवरी 2007

क्रमांक/67/प्र. 1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौंडी लोहारा	भरनाभाट प. ह. नं. 9	4.91	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	राघोनवागांव जलाशय के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौंडीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पकनी	1.558	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	डांड अमोरनी	2.846	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 3 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	1.598	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के शिवानीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 4 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	0.968	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के सुखनईया माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 5 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चेन्द्रा	3.677	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 6 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	छतरंग	1.303	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	छतरंग जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 7 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	त्रिपुरेश्वरपुर	5.780	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा (छ. ग.)	पियुरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 1 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	नागम	0.610	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र. 2 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लुण्ड्रा (धौरपुर)	पसेना	8.024	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1, अम्बिकापुर.	रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 9/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	रूमगा	1.070	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	मटियाडांड	1.924	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	लोवरसोन व्यपवर्तन योजना माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सधवानी	6.798	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	सारबहरा	40.088	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	आन्दू	20.217	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आन्दुल जलाशय (जोगीडोंगरी जलाशय) डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 8 जून 2006

क्रमांक 157/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जोंगरा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	340/3	0.040
	341/2	0.024
	342	0.101
	364/2, 4	0.121
	366/3	0.065
	366/6	0.134
	414/6	0.045
	414/7	0.085
योग	8	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 जनवरी 2007

क्रमांक 22/प्र. 1/अ.वि.अ./2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-चिहरो, प. ह. नं. 55
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-22.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
676	0.73
680	0.25
700	2.09
516	0.07
520	0.25
521	0.37
523	0.88
681	0.30
696	0.44
690/1	0.17
691	0.26
527	0.19
705	0.52
524	1.29
529	0.08
531	0.02
699	0.69
519	0.68
706	0.70
682	0.29
683	0.27
698	0.77
703	2.93

(1)	(2)
694	0.21
508	0.74
509	0.06
510	0.15
511	0.19
512	0.17
513	0.07
514	3.75
518	0.47
522	0.26
704	0.63
707	1.14
678	0.22
679	0.47
515	0.07
517	0.02
योग	22.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-आमाडूला जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक 32/प्र. 1/अ. वि. अ./2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-बालोद
- (ग) नगर/ग्राम-पंचेड़ा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.43 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
532	0.01
536	0.01
542	0.02
540/2	0.86
540/3	0.07
553	0.10
559	0.92
560	0.82
558/2	0.30
558/3	0.30
564	0.43
610/1	0.45
610/2	0.02
611	0.06
613	0.47
612	0.15
580	0.25
581	0.09
570	0.18
568	0.02
567	0.11
566	0.30
565	0.49
योग	6.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पचेड़ा जलाशय.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ.वि.अ./प्र. क्र. 25/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-आरंग

(ग) नगर/ग्राम-अकोलीकला, प. ह. नं. 147/45

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.06 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
283	0.06
योग	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर शाखा क्र. 19 के माइनर नं. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग, अभनपुर, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, ज़िला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 1 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-पकनी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
155	0.013
156	0.081
160	0.090
212	0.025
162	0.154
181	0.066
182	0.512
192	0.199
194	0.058
196	0.062
202	0.019
203	0.023
204	0.066
205	0.028
214	0.024
215	0.002
866	0.074
1093	0.062
योग 18	1.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक -2 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) ज़िला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-डांडअमोरनी, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.846 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
9	0.026
10	0.043
11	0.043
12	0.049
14	0.014
15	0.057
16	0.057
17	0.005
18	0.069
35	0.032
111	0.016
115	0.036
167	0.075
112	0.016
113	0.020
151	0.081
114	0.025
149	0.065
117	0.041
118	0.326
146	0.081
147	0.020
148	0.049
152	0.105
153/2	0.089
154	0.065
155	0.065
157	0.106
290	0.005
311	0.081
291	0.049
312	0.033
292	0.113
316	0.020
303/1	0.049
303/2	0.049
303/3	0.041
303/4	0.045
304	0.009
314	0.066
313	0.089
506	0.114
315	0.041
503	0.134
504	0.043
513/2	0.034
308	0.145
योग 47	2.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 3 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.598 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1450/2	0.089
1452	0.093
1453	0.028
1455	0.025
1511	0.013
1466	0.081
1477/1	0.097
1479	0.045
1481	0.129
1482	0.065

(1)	(2)
1483	0.006
1490/1	0.089
1491	0.069
1492	0.210
1498/1	0.032
1510	0.028
1575	0.073
1578/3	0.004
1580	0.121
1586	0.162
1587	0.057
1093	0.013
1497	0.049
योग 23	1.598

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के शिवानीपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 4 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.968 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
514/2	0.041
734	0.021

(1)	(2)
739	0.069
742	0.041
826	0.069
841	0.081
842	0.100
843	0.081
844	0.044
846	0.061
847	0.009
834/1	0.044
834/2	0.073
898/3	0.202
950	0.032
योग 15	0.968

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के सुखनईया माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 5 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)

(ख) तहसील-सूरजपुर

(ग) नगर/ग्राम-चेन्द्रा, प. ह. नं. 9

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.677 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435/1	0.041
924	0.008

(1)	(2)
972	0.226
1089	0.089
1094	0.008
928/1	0.647
1102/2	0.089
928/2	0.020
1102/1	0.121
1104	0.085
929	0.121
937/1	0.008
940	0.202
941	0.033
942	0.101
943	0.073
950	0.243
953	0.024
952	0.073
974	0.097
975	0.121
982	0.065
983	0.016
984/2	0.041
984/3	0.008
989	0.121
990	0.057
993/1	0.024
1002	0.049
994	0.178
998	0.089
1001	0.089
1003	0.004
1090	0.041
1091	0.089
1092/2	0.132
1093	0.105
1101	0.129
योग 38	3.677

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेन्द्रा जलाशय के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 20 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 6 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-छतरंग, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.303 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
301	0.129
304	0.049
307	0.008
401	0.008
309	0.024
310	0.067
311	0.018
316/1	0.138
318/1	0.016
321	0.024
322	0.004
400	0.115
323	0.014
324	0.107
327	0.204
325	0.034
345	0.008
399	0.164
404/1	0.016
405	0.008
409	0.130
413	0.018
योग 22	1.303

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छतरंग जलाशय के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 21 दिसम्बर 2006

क्रमांक - 7 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-त्रिपुरेश्वरपुर, प. ह. नं. 69
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.780 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
77	0.224
86	0.376
88	0.070
87	0.048
79	0.064
89	0.030
90	0.28
91	0.10
92	0.20
117	0.08
118	0.088
119	0.001
120/2	0.047
122	0.096
126	0.088
127	0.128
129	0.096
171	0.083
172	0.029
173/3	0.06
174	0.080
173/2	0.06
175/3	0.09
175/2	0.09
175/1	0.09
170	0.040
168	0.10
165	0.040
193	0.010
546	0.024
164/1	0.06
504/1	0.09
164/2	0.24
178	0.05
180	0.05
507	0.020
541	0.080
620	0.024
181	0.050
508	0.040
183	0.090
182	0.045
621	0.026
185	0.120
189	0.005
196	0.150
443/2	0.090
441/1	0.025
453	0.064
444/2	0.025
452	0.09
454	0.090
478	0.148
479	0.010
500/1	0.096
616	0.033
456	0.038
506/1	0.06
506/2	0.02
543	0.040
545	0.064
549	0.070
573/1	0.08
573/3	0.080
573/1	0.080
173/1	0.060
613	0.06
575	0.064
574	0.096
606	0.128
612/2	0.070
615	0.053

(1)	(2)
120/1	0.047
120/3	0.047
योग 74	5.780

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पियुरी जलाशय के दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा (धौरपुर)
- (ग) नगर/ग्राम-नागम
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.610 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
50/2	0.121
50/4	0.094
50/5	0.121
53	0.121
55/1	0.153
योग	0.610

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जनवरी 2007

रा. प्र. क्र./02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-लुण्ड्रा (धौरपुर)
- (ग) नगर/ग्राम-पसेना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.024 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/2	0.243
12	0.182
13/4	0.071
187/1	0.192
175	0.162
42	0.182
112/1	0.016
212	0.149
180	0.174
250/4	0.024
283/3	0.097
213	0.445
348	0.040
379/15	0.061
379/12	0.040
306	0.045
1/15	0.081
29	0.016
250/8	0.024
341/3	0.016
244	0.141
165	0.020
168/1	0.121
173	0.016
215/2	0.141
257/1	0.070
283/4	0.097

(1)	(2)
301/3	0.081
375/3	0.040
380/3	0.060
374	0.016
1/17	0.060
245	0.101
15	0.113
343/3	0.243
33/2	0.087
176	0.070
172/1	0.093
177/4	0.133
220	0.121
257/2	0.071
289	0.016
301/4	0.081
340	0.008
379/7	0.057
369/3	0.040
1/18	0.081
13/1	0.070
249	0.032
387/8	0.049
36/1	0.181
259	0.028
346	0.081
179	0.101
221	0.081
258/1	0.141
291	0.162
450/2	0.081
379/1	0.081
379/6	0.081
381	0.060
3	0.320
13/2	0.070
27	0.172
28	0.222
37	0.016
376	0.081
347/1	0.093
246	0.032
267	0.182
264	0.032
179/464	0.020
304	0.064
379/9	0.020
387/1	0.049
382/1	0.113
11/4	0.028
13/3	0.070
185/2	0.141
33/1	0.087
36/2	0.028
111	0.101
174/2	0.283
303	0.162
293	0.032
282/2	0.141
286	0.012
305	0.020
379/8	0.016
379/11	0.049
387/9	0.049
योग	8.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रीरी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2006

क्रमांक 17/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-डोंगरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.985 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
306/2	0.089
474/3	0.040
311/1	0.069
313/2	0.008
455/2	0.008
303/8	0.024
464/1	0.194
475/1	0.053
314/4	0.012
463/1	0.057
313/1	0.008
315/2	0.045
405/1	0.012
407	0.016
454	0.016
308	0.016
303/4	0.077
305/7	0.028
302/3, 302/4	0.178
745/3	0.170
292	0.125
520/8	0.045
302/2	0.053
745/1	0.020
293	0.020
295	0.004
445/1	0.020
461	0.045
304/2	0.020
278	0.028
294	0.085
745/2	0.101
465	0.012
468	0.061
521	0.089
405/2	0.150
307	0.230
469	0.089
314/1	0.069
315/1	0.053
462	0.162
408/2	0.008
476/1	0.113
442/2	0.008
296/4	0.053
303/6	0.053
444/6	0.178
296/2	0.032
303/7	0.032
304/1	0.073
522	0.154
296/3	0.028
303/2	0.081
302/5	0.053
312/3, 312/4	0.073
445/2	0.170
458	0.008
475/2	0.069
270/3	0.105
520/3	0.081
405/8, 405/9	0.012
योग 60	3.985

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बगड़ी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 7/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-नगवाही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
289/2	0.065
400	0.008
238	0.061
41/4	0.154
237	0.040
283/1	0.036
398/3	0.109
398/6	0.069
305	0.166
306	0.040
289/1	0.073
396/2	0.113
304/1	0.024
393	0.073
249	0.142
447/1	0.061
54/1	0.049
282/1	0.008
397	0.121
302	0.028
53/1	0.324
319	0.089
441	0.065
442	0.024
41/5	0.085
251/1	0.166
298/2	0.024
438	0.004
439	0.134
398/1	0.040
398/5	0.105
317	0.186
42	0.028
280	0.057
285	0.057
443/2, 444/2, 445/3	0.243
247	0.049
296	0.101
297	0.053
398/4	0.061
284	0.129
316	0.008
299	0.024
38	0.040
396/1	0.069
444/1	0.324
395	0.057
394/1	0.069
446	0.057
440	0.089
288	0.077
योग 49	4.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपरखुज्जी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 10/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-पंडरीपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.859 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
533	0.162

(1)	(2)
536	0.113
599	0.162
567	0.240
443	0.730
446	0.840
488	0.101
485	0.053
532	0.081
445	0.680
498	0.069
506	0.251
537	0.158
595	0.300
486	0.069
528	0.081
499	0.097
596	0.710
525	0.016
594	0.350
598	0.120
501	0.073
568	0.295
487	0.065
489	0.008
490	0.660
493	0.032
495	0.081
492	0.028
500	0.117
517	0.117
योग 31	6.859

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चनाडोंगरी जलाशय डूब एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

क्रमांक 18/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-डाहीबहरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.558 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
339	0.073
344	0.061
341	0.032
343	0.012
348	0.093
338	0.040
333	0.085
340	0.065
355	0.097
योग 9	0.558

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डाहीबहरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भरेवा, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.449 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
380/1	0.097
382/4	0.073
381	0.162
382/1	0.117
योग 4	0.449

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 11/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सकेरी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.399 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5/3, 4	0.097
5/5, 7	0.093
255/2	0.077
258/3	0.085
259/1, 4	0.045
259/2	0.045
260	0.077
296	0.069
261	0.097
285/2	0.073
274, 290/1	0.138
287/1	0.158
286/1	0.069
286/2	0.069
284/1	0.158
284/2	0.049
योग 16	1.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 22/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पीड़ा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.151 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89, 90, 92	0.158
93	0.097
372	0.008
101	0.004
100	0.101
110	0.045
111	0.069
122	0.073

	(1)	(2)
	123	0.004
	140	0.057
	135	0.089
	136	0.178
	269	0.012
	132	0.004
	134	0.004
	287	0.057
	270/1	0.061
	286/1	0.069
	270/2	0.061
योग	19	1.151

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 23/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पुटपुरा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.830 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	77/4	0.109
	80	0.053
	79/1	0.121
	95	0.073
	96/1	0.020
	96/2	0.085
	69	0.097
	68	0.085
	67	0.093
	61/1	0.049
	65	0.045
योग	10	0.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 24/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पथरगढ़ी, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
92/1	0.121
92/2	0.004
93, 94	0.97
135	0.069
136	0.008
133/1	0.069
139/1	0.024
138	0.004

(1)	(2)
122	0.061
109	0.008
141/1	0.028
141/2	0.053
124/2	0.045
123/1	0.057
121/1	0.024
110/1	0.008
115, 120/1	0.142
114/1	0.093
114/2	0.004
176/2	0.121
176/1, 176/5	0.142
योग 24	1.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 25/अ-82/2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भठली, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.384 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
209	0.008
210	0.089
212/2	0.028
215	0.004
429	0.121
428	0.012
403	0.053
430	0.004
773	0.057
426	0.069
427	0.049
425	0.057
400/1	0.020
400/2	0.020
401	0.073
407	0.077
404	0.004
776/1	0.057
406	0.069
405/2	0.008
759	0.057
760/2	0.105
779	0.012
761	0.040
774	0.109
775/2	0.008
772	0.004
771/1	0.057
771/2	0.093
798/2	0.020
योग 30	1.384

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2006

रा. प्र. क्र. 28/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-पीड़ा, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	5/1	0.008
	6, 8. 9,	0.162
	204	0.012
योग	3	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 10 जनवरी 2007

प्र. क्र. 1/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-उमरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	268/2	0.18
योग		0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रामबोड़ जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 अक्टूबर 2006

क्रमांक 647/मण्डी/निर्वाचन/05-06.—कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 की धारा 13 (1) के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रा हेतु निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम :-

क्र.	उपाध्यक्ष का नाम	मण्डी का नाम एवं क्षेत्र का नाम
1.	श्रीमती कुसुम	कृषि उपज मण्डी समिति पेण्ड्रा जिला बिलासपुर कृषक निर्वाचन केन्द्र क्र. 2

पी. एस. एल्मा,
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.